न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर
दीवानी वाद संख्या 22/2025
रेनु उढेरनानी बनाम ओमप्रकाश व अन्य

10.09.2025

वादिया की ओर से अधिवक्ता श्री एन.के.दोसी उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा यह जाहिर किया गया है कि वादिया द्वारा आदेश 7 नियम 1 व्य.प्र.सं. वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा, कब्जा प्राप्ति, मध्यवर्ती लाभ का अनुतोष चाहते हुए हस्तगत वाद पेश किया गया है। उभय पक्ष का यह भी निवेदन है कि हस्तगत वाद में अभी भी राजीनामा की गुंजाइश है, इसलिए दोनों पक्ष राजीनामे के आधार पर वाद का निस्तारण करवाना चाहते है, जिसके लिए पांच दिवस का अवसर प्रदान किया जावे।

दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात राजीनामा होने की सम्भावना को मध्यनजर रखते हुए, बहस अंतिम न सुनी जाकर, राजीनामा किये जाने हेतु दोनों पक्षों की सहमति से एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, पत्रावली वास्ते राजीनामा/बहस अंतिम हेतु दिनांक 17.09.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।